न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बलिया

जी0आर0न0– 2646 / 06

04 / 01 / 2020 सूचक की ओर से एक आवेदन दिनांक– 22 / 10 / 2019 दाखिल किया गया। आवेदन की कॉपी बचाव पक्ष को दी गई। बचाव पक्ष ने दिनांक– 16 / 12 / 2019 को प्रतिउत्तर भी दाखिल किया। उपरोक्त आवेदन पर उभयपक्षों को सुना। सूचक ने अपने आवदेन में कहा है कि मो0 अबू उर्फ आबो घटना में अभियुक्तों के साथ थे एवं प्राथमिकी आवेदन में भी मो0 आबू का नाम गवाह के रूप में सूचक ने दिया है। जब कि जॉच के उपरांत पुलिस ने अपने अंतिम प्रपत्र में साक्ष्य के रूप में मो0 आबू का नाम नहीं दिया जब कि मो0 आबू घटना का एक मात्र गवाह है इसका गवाही होना न्यायहित में आवश्यक है। अतः मो0 आबू का साक्ष्य कराने हेतु अनुमति दी जाए।

बचाव पक्ष ने अपने प्रतिउत्तर में यह कहा है कि दंड प्रकिया संहित के अंतर्गत सूचक का आवेदन विधि सम्मत नहीं है एवं धारा– 161 द0प्र0सं0 मो0 आबू का बयान पुलिस के समक्ष दर्ज नहीं किया गया। इसी कारण से अंतिम प्रपत्र में साक्ष्य के रूप में मो0 आबू का नाम नहीं दिया गया, अतः सूचक का आवेदन खारिज योग्य है।

उपरोक्त आवेदन पर उभयपक्षों को सुना अभिलेख का अवलोकन किया प्राथमिकी आवेदन में सूचक ने यह आरोप लगाया है कि उसको एव उसके भतीजा मो0 आबू को अभियुक्तों ने पकड़ लिया और रात्री में 07:00 बजे वह भाग कर चला आया, मो0 आबू को पता नहीं है कि कहां लेकर गया। अतः इन परिस्थितियों में मो0 आबू इस कांड का पीड़ित भी है इसका साक्ष्य कराना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। अतः सूचक का आवेदन दिनांक– 22 / 10 / 2019 को स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

अ0 मुख्य0 न्या0 दण्डा0, बलिया